न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर0ए0एस)

प्रकरण संख्या– 190 / 2021

जीसीएमएस– 2021 / 54

दायर दिनांक–11.02.2021

निर्णय दिनांक– 23.02.2024

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. देशराज पि0 रामजीलाल जाति मीना निवासी पालनपुर तह0 हिण्डौन 2. दिनेश पि0 रामजीलाल जाति मीना निवासी पालनपुर तह0 हिण्डौन 3. महेश पि0 रामजीलाल जाति मीना निवासी पालनपुर तह0 हिण्डौन 4. रामनिवास पि0 रामजीलाल जाति मीना निवासी पालनपुर तह0 हिण्डौन 5. जगनी पत्नी स्व0 रामजीलाल जाति मीना निवासी पालनपुर तह0 हिण्डौन 6. लक्ष्मी पुत्री स्व रामजीलाल जाति मीना निवासी पालनपुर तह0 हिण्डौन		1. रामकेश पि0 मिश्रा जाति मीना निवासी पालनपुर तह0 हिण्डौन जिला करौली 2. रामखिलाडी पि0 मिश्रा जाति मीना निवासी पालनपुर तह0 हिण्डौन जिला करौली 3. मोहरसिंह पि0 मिश्रा जाति मीना निवासी पालनपुर तह0 हिण्डौन जिला करौली 4. होडीलाल पि0 मिश्रा जाति मीना निवासी पालनपुर तह0 हिण्डौन जिला करौली

प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– 1. श्री अशोक नीमनका, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री सुरज्ञानसिंह मीना, अधिवक्ता अप्रार्थीगण

–:निर्णय:– दिनांक:–23.02.2024

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2024.03.21 11:39:23 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि प्रार्थीगण ने अदालत हाजा में अप्रार्थीगण के

23.2.24

विरूद्ध उक्त उनवानी दावा स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर दिया है। जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है।

प्रार्थना–पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1040 रकबा 0.36 है0, वाके ग्राम पालनपुर तहसील हिण्डौन में प्रार्थीगण हि01/7 हिस्से के खातेदार काश्तकार हैं, जिससे अप्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं है एवं अन्य सहखातेदार का मौके पर बाहमी बंटवारे को लेकर कोई विवाद नहीं है।

प्रार्थना–पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि बाका दिनांक 03. 02.2021 को प्रार्थीगण अपने हिस्से में बोई फसल की सार संभाल कर रहे थे कि अप्रार्थीगण एकराय होकर आये एवं कहने लगे कि इस खेत में हम अपनी रिहायश तामील करना चाहते हैं, इसलिए तुम इसे हमें बेचान कर दो, प्रार्थीगण ने मना करने पर अप्रार्थीगण नाराज हो गये एवं उन्होंने खुले आम धमकी दी कि अब हम इस पर जबरन डण्डे के बल पर कब्जा करेंगे, और तुम्हें इससे बेदखल करके रहेंगे, यदि अप्रार्थीगण अपनी इस कुचेष्ठा में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी, इसलिए दावा व सम्बन्धित प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना–पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि अगर अप्रार्थीगण अपने उक्त गैरकानूनी मंसूबे में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार इन टर्मस ऑफ मनी होना सम्भव नहीं हो सकेगी, जबकि अप्रार्थीगण को पाबन्द फरमाने से उन्हें कोई क्षति किसी प्रकार की नहीं है।

प्रार्थना–पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि प्राईमाफेसी केश व सुविधा का सन्तुलन भी सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है।

अतः प्रार्थना–पत्र अस[illegible]ज्ञा पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना–पत्र स[illegible] को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला दावा पाबन्द [illegible]या जावे कि अप्रार्थीगण आराजी खसरा नम्बर 1040 रकबा 0.36 है0 वाके ग्राम पालनपुर तहसील हिण्डौन से सायलान को बेदखल कर स्वंय कब्जा नहीं करें। सायलान के कब्जे काश्त में

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2024.03.21 11:39:23 IST
Reason: SelfAttested

A 23.2.21

मजाहमत मदाखलत नहीं करें। प्रार्थीगण के हिस्से पर कब्जा कर कोई निर्माण कार्य नहीं करें। कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित नहीं करें। ऐसा कोई कार्य ना तो स्वंय करें ना ही किसी अन्य से करावें जिससे हकूक प्रार्थीगण पर प्रतिकूल प्रभाव पडे। रिकार्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तबल किया गया। अप्रार्थीगण बाद तामील जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये तथा जबाव प्रार्थना–पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना–पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि प्रार्थना–पत्र के मद नं01 में प्रार्थी द्वारा कतई गलत एवं झूंठा दावा अप्रार्थीगण के विरूद्ध करना स्वीकार है, लेकिन उसमें प्रार्थीगण को सफलता का कोई चान्स नहीं है।

जबाव प्रार्थना–पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि प्रार्थना–पत्र का मद नं02 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है, गलत एवं झूंठा होने के कारण अस्वीकार है। वास्तविकता में प्रार्थीगण ने खुद ने व उसके परिवारजनों ने दो गवाहों के सामने अप्रार्थीगण को एक इकरारनामा लिखा कि अप्रार्थीगण को कब्जा संभलवा के खुद ने आश्वस्त किया है कि यह खेत हम बेच चुके हैं और हमने चूकती रकम प्राप्त कर ली है। आराजी खसरा नम्बर 1040 रकबा 0.36 है0 स्थित ग्राम पालनपुर तहसील हिण्डौन में सायलान का 1/7 हिस्से के सहखातेदार अपने आपको मानता है लेकिन इसने स्वंय ने इसी नम्बर का एक इकरारनामा लिखकर पूर्ण स्वस्थ अवस्था में पूर्ण होश हबास, दो गवाहान् के समक्ष अपने हस्ताक्षर करके खेत की सम्पूर्ण रकम 65000/–रूपया नकल लेकर अप्रार्थीगण को खेत का कब्जा संभलवा दिया। इस प्रकार दो गवाहान के समक्ष इसने अपनी जुवान से कहा कि आज के बाद मैं व मेरी सन्तान व मेरी आने वाली पीढी किसी प्रकार का यदि उज्र करें तो राजपंच में झूंठा माना जावेगा। इस प्रकार की लिखावट में भी इन्होंने लिखकर अपने हस्ताक्षर बनाये हैं, इसलिए प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 1040 रकबा 0.36 है0 स्थित ग्राम पालनपुर तहसील हिण्डौन में सायलान का 1/7 हिस्से के खातेदार काश्तकार नहीं है, जिससे प्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2024.03.21 11:39:23 IST
Reason: SelfAttested

23.2.24

जबाव प्रार्थना–पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि प्रार्थना–पत्र का मद नं04 गलत है और अस्वीकार है। पालनपुर गांव के निज निवासी पंचगण द्वारा अपना पंचनामा बना दिया है कि जो कि हम पंचगण एवं ग्रामवासी पालनपुर तहसील हिण्डौन के भूमि खाता सं0 1040 रकबा 36 ऐयर एवं खाता संख्या 146 पुराना 143 की भूमि पर पर महेश पुत्र रामजीलाल व उसके अन्य परिवारजनों ने रामकेश आदि के खिलाफ जमीन का मुकदमा कराया है वह बिल्कुल निराधार है क्योंकि दिनांक 25.12.1999 को महेश पुत्र रामजीलाल के भाई दिनेश पुत्र रामजीलाल जाटव निवासी हाल सिकरौदा ने मिश्रया मीना पुत्र सुक्की जाति मीना निवासी पालनपुर को 65000/–रूपया में विक्रय लेख मूलचंद जाटव व नत्थी जाटव की मौजूदगी में वही खाते में लिखापढी व सहमति देकर मिश्रया पुत्र सुक्की मीना को बेचकर कब्जा मिश्रया पुत्र सुक्की मीना को दिनांक 08.12.1999 को संभला दिया, तब से मिश्रया पुत्र सुक्की मीना का कब्जा चला आ रहा है। मिश्रया की मृत्यु हो जाने पर अब उसे मिश्रया के वारिसान कब्जा अधिकार द्वारा फसल पैदा कर रहे हैं, वर्तमान में उक्त खेत में गैहूँ की फसल है, महेश पुत्र रामजीलाल एवं दिनेश पुत्र रामजीलाल जाटव गांव में नहीं रहते हैं तथा उक्त भूमि पर मिश्रया मीना के परिवारजनों का कब्जा अधिकार मौजूद है।

जबाव प्रार्थना–पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि प्रार्थना–पत्र का मद नं05 गलत है, अस्वीकार है। क्योंकि मद नं0 4 में जो लिखा गया है वह पूर्ण रूपेण असत्य है, क्योंकि अपनी स्वंय की इच्छा से बिना किसी दबाब के अपनी जरूरत के लिए पैसों की आवश्यकता हुई तब अपनी मर्जी से अपना खेत विक्रय किया तो इसमें अप्रार्थीगण को भारी नुकसान करने की गरज से यह मुकदमा किया है, अप्रार्थीगण को पाबन्द करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है, प्रार्थी को किसी प्रकार का कोई नु[illegible] किसी भी प्रकार की संभावना नहीं है क्योंकि हाल निवासी [illegible] 25 किलोमीटर का फांसला है, इसलिए भी कोई विवाद की सम्भावना [illegible] है। प्रार्थीगण ने इस मद में दर्ज किया गया सम्पूर्ण विवरण कतई गलत एवं झूंठा होने के कारण स्वीकार नहीं है। अप्रार्थीगण का कोई गैरकानूनी मंसूबा नहीं है और ना ही प्रार्थीगण को

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2024.03.21 11:39:23 IST
Reason: SelfAttested

23.2.24

कोई अपूर्तनीय क्षति है। इसलिए कभी भी कोई विवाद होने की सम्भावना नहीं है इसलिए पाबन्द करने के लिए किया गया निवेदन निराधार है।

जबाव प्रार्थना–पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि प्रार्थना–पत्र का मद नं05 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है, गलत है, अस्वीकार है। क्योंकि प्रार्थीगण के पक्ष में कोई प्रथम दृष्टया मामला साबित नहीं है और ना ही सुविधा का सन्तुलन ही प्रार्थीगण के पक्ष में है, बल्कि प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में हैं तथा सुविधा का सन्तुलन भी अप्रार्थीगण के ही पक्ष में है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे तथा खसरा नम्बर 1040 रकबा 0.36 है0 स्थित ग्राम पालनपुर तहसील हिण्डौन में से अप्रार्थीगण को बेदखल नहीं करें व अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त में मजाहमत मदाखलत नहीं करें।

वकील प्रार्थीगण ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 पेश की हैं।

इसके विपरीत वकील अप्रार्थीगण ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति पंचनामा आम ग्रामीण ग्राम पालनपुर, फोटो प्रति शपथ पत्र प्रेमदेवी पत्नि मूलचन्द जाति जाटव निवासी पालनपुर, फोटो प्रति बही की लिखावट मिती फूसवदी 5 सम्बत् 2056 तारीख 25.12.1999 पेश किये हैं।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील अप्रार्थीगण ने जबाव प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2024.03.21 11:30:23 IST
Reason: SelfAttested

वकुलाय फरीकेन की बहस ... किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1040 रकबा 0.36 है0 स्थित ग्राम पालनपुर तहसील हिण्डौन में

23.2.24

प्रार्थीगण हिस्सा 1/7 भाग के रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं। उक्त विवादित आराजीयात जाटव जाति (अनुसूचित जाति) के व्यक्तियों के नाम दर्ज रिकार्ड है।

इसके विपरीत अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति पंचनामा आम ग्रामीण ग्राम पालनपुर में अंकित किया है कि हम पंचगण एवं ग्रामवासी पालनपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली के भूमि खाता संख्या 146 पुराना 143 की भूमि जिस पर महेश पुत्र रामजीलाल व उसके अन्य परिवारजनों ने रामकेश आदि के खिलाफ जमीन का मुकदमा करया है वह बिल्कुल निराधार है क्योंकि दिनांक 25.12.1999 को महेश पुत्र रामजीलाल के भाई दिनेश पुत्र रामजीलाल जाटव निवासी हाल सिकरौदा ने मिश्रया मीना पुत्र सुक्की जाति मीना निवासी पालनपुर को 65000/–रूपया में विक्रयलेख मूलचन्द जाटव व नत्थी जाटव की मौजूदगी में बही खाते में लिखापढी व सहमति देकर मिश्रया पुत्र सुक्की मीनाको बेचकर कब्जा मिश्रया पुत्र सुक्की मीना को दिनांक 25.12.1999 को संभला दिया तब से ही मिश्रया पुत्र सुक्की मीना का कब्जा चला आ रहा है। मिश्रया की मृत्यु हो जाने पर अब उसे मिश्रया के वारिसान कब्जा अधिकार द्वारा फसल पैदा कर रहे हैं। वर्तमान में उक्त खेत में गैहूँ की फसल है महेश पुत्र रामजीलाल एवं दिनेश पुत्र रामजीलाल जाटव गांव में नहीं रहते हैं तथा उक्त भूमि पर मिश्रया मीना के परिवारजनों का ही कब्जा अधिकार मौजूद है। उक्त पंचनामा पर ग्रामवासियों के हस्ताक्षर हैं।

फोटो प्रति शपथ पत्र दिनांक 15.03.2021 प्रेमदेवी पत्नि मूलचन्द जाति जाटव निवासी पालनपुर तहसील हिण्डौन के अनुसार दिनांक 25.12.1999 को दिनेश पुत्र रामजीलाल जाति जाटव निवासी पालनपुर ने एक खेत 65000/–रूपया में निश्ता पुत्र सु[illegible]मीना निवासी पालनपुर को बेचान किया था तथा मेरे स[illegible] 65000/–रूपया गिनाये थे व दिनेश ने अपने खेत पर कब्जा संभला [illegible]ा था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2024.03.21 11:39:23 IST
Reason: SelfAttested

फोटो प्रति बही की लिखावट मिती फूसवदी 5 सम्बत् 2056 तारीख 25.12.1999 में अंकित किया है कि लिखावट लिख दीनी दिनेश पुत्र

रामजीलाल जाटव पालनपुर वाले ने मिश्राराम मीना पालनपुर वाले को मिति फूस बदी 5 सम्बत् 2056 तारीख 25.12.1999 मैने दिनेश जाटव ने मेरा खेत जो सुआलाल कारीगर के खेत की दक्षिण की दिशा में है व मूलचन्द जाटव वाले खेत की पूर्व की तरफ जो करीबन डेड वीघा जमीन होगी उसको मैने आज दिनांक 25.12.1999 मिश्रा मीना पालनपुर वाले को 65000/-रूपया में माला कलाम बेच दिया है जिसकी साई में आज 15100/-रूपया नकद प्राप्त कर लिये हैं वाकी के पैसे 16500/-रूपया रजिस्ट्री करवाने पर तुरन्त दिये अगर रजिस्ट्री बैसाख तक नहीं करवाई तो जो खाता इस बही में पीछे लिखा है 33500/-रूपया का उसका ब्याज देना होगा। ये लिखावट मैंने राजीखुशी होश हवाश से लिख दी है जो सनद रहे इसमें किसी तरह की फेरबदल करूं तो राज पंच में झूंठा पडूं। उक्त लिखावट पर दिनेश जाटव एवं गवाही में मूलचन्द, नत्थी, के हस्ताक्षर हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1040 रकबा 0.36 है0 वाके ग्राम पालनपुर तहसील हिण्डौन में सायलान हि0 1/7 के रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं। अप्रार्थीगण के द्वारा पेश किये गये दस्तावेजी सबूतों के आधार पर विवादित आराजी खसरा नम्बर 1040 रकबा 0.36 है0 वाके ग्राम पालनपुर तहसील हिण्डौन से कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का होना साबित नहीं होता है। प्रार्थीगण अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं जबकि अप्रार्थीगण अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं। प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि का बेचान अप्रार्थीगण को किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकता है। प्रार्थीगण उक्त विवादित आराजीयात में हिस्सा 1/7 के रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार होने कारण एवं उक्त विवादित आराजीयात से अप्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं होने के कारण, प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने का अधिकारी साबित नहीं होता है। प्रार्थीगण ने ऐसा कोई भी दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है कि जिससे साबित हो सके कि अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि में प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत पैदा की जा रही हो। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला साबित

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2024.03.21 11:39:23 IST
Reason: SelfAttested

23.2.22

नहीं होता है और ना ही सुविधा का सन्तुलन ही प्रार्थीगण पक्ष में साबित होता है तथा अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू भी साबित नहीं होता है। बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। ऐसे हालात में प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण विवादित आराजी खसरा नम्बर 1040 रकबा 0.36 है0 स्थित ग्राम पालनपुर तहसील हिण्डौन स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है तथा उक्त प्रकरण में विवादित आराजी खसरा नम्बर 1040 रकबा 0.36 है0 स्थित ग्राम पालनपुर तहसील हिण्डौन के बाबत् दिनांक 11.02.2021 को जारी अन्तिरिम स्थगन आदेश विद्ड्रो किये जाते हैं। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 23.02.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23.2.24

(सुखाराम पिण्डेल)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2024.03.21 11:39:23 IST
Reason: SelfAttested